पीठासीन पदाधिकारी–रणधीर कुमार
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बलिया (बेगूसराय)
जी. आर. नं0– 3697/2011
साहेबपुर कमाल थाना काण्ड सं0– 216/2011
दिनांक– 28.07.2026

प्ररूप–क

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बलिया, जिला– बेगूसराय

पीठासीन पदाधिकारी – रणधीर कुमार

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बलिया (बेगूसराय)

दिनांक– 28.07.2026

जी. आर. नं0 – 3697/2011

सी.आई.एस. सं0 – 3697/2011

साहेबपुर कमाल थाना काण्ड सं0– 216/2011

राज्य बनाम सज्जन कुमार सिंह एवं अन्य

राज्य/सूचक	पु0अ0नि0 पंकज सिंह (थानाध्यक्ष), थानाध्यक्ष साहेबपुर कमाल थाना जिला बेगूसराय।
सूचक की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री फिरोज अहमद, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, बलिया (बेगूसराय)
अभियुक्तगण	1. सज्जन कुमार सिंह, पिता– वामदेव सिंह उम्र– 50 वर्ष 2. तारा सिंह, पति– सुखेदव सिंह उम्र– 55 वर्ष दोनों सा0– सबदलपुर, थाना– साहेबपुर कमाल, जिला– बेगूसराय।
अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री अमर भूषण सिंह, अधिवक्ता श्री दिवाकर वर्धन सिंह, अधिवक्ता

प्ररूप–ख

अपराध की तिथि	19.12.2011
प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि	19.12.2011
आरोप पत्र की समर्पित करने की तिथि	14.02.2012
संज्ञान की तिथि	17.02.2012
आरोप गठन की तिथि	19.09.2018
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	21.12.2018
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	15.07.2026
निर्णय की तिथि	28.07.2026
दण्ड सुनाने की तिथि	28.07.2026 (दूसरी पाली)

पीठासीन पदाधिकारी—रणधीर कुमार
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बलिया (बेगूसराय)
जी. आर. नं0— 3697/2011
साहेबपुर कमाल थाना काण्ड सं0— 216/2011
दिनांक— 28.07.2026

अभियुक्तगण का विवरणी

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	आरोप की धारा	निर्दोष/दोषी	अधिरोपित सजा	धारा 428 द0प्र0स0 के प्रयोजन के लिए विचरण के दौरान निरोध की अवधि
1.	सज्जन कुमार सिंह	21.12.2011	03.02.2012	25(1-B) a,c/ 26/35 आयुध अधिनियम	निर्दोष		49 दिन
2.	तारा सिंह	21.12.2011	20.05.2013	25(1-B)c/35 आयुध अधिनियम	निर्दोष		एक साल पांच महीना
				25(1-B)a एवं 26 आयुध अधिनियम	दोषी		

प्रारूप—ग

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/अदालत के गवाहों की सूची

क. अभियोजन पक्ष :

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
P.W.1	पंकज कुमार	सूचक
P.W.2	मो0 इरशाद आलम	साक्षी
P.W.3	सुनील कुमार	अनुसंधानकर्त्ता
P.W.4	अरविंद कुमार सिंह	साक्षी

ख. बचाव पक्ष, यदि कोई हो :

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं।	कोई नहीं।	कोई नहीं।

ग. न्यायालय के गवाह, यदि कोई हो :

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं।	कोई नहीं।	कोई नहीं।

अभियोजन/बचाव/न्यायालय के साक्ष्यों के सूची

क. अभियोजन पक्ष :

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श–1/PW1	फर्दबयान पर सूचक का हस्ताक्षर
2.	प्रदर्श–1/1 PW1	स्वलिखित बयान पर पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर
3.	प्रदर्श–2/PW1	जब्ती सूची
4.	प्रदर्श–3/PW1	औपचारिक प्राथमिकी पर हस्ताक्षर
5.	प्रदर्श–4/PW3	आरोप पत्र
6.	प्रदर्श–5/PW3	आवेदन जो मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को दिया गया था उस पर हस्ताक्षर
7.	प्रदर्श–6/PW3	सार्जेन्ट मेजर को दिया गया आवेदन पर हस्ताक्षर
8.	प्रदर्श–7/PW3	शस्त्र जांच रिर्पोट पर अरविन्द कुमार सिंह का हस्ताक्षर
9.	प्रदर्श–8/PW3	अभियोजन स्वीकृति आदेश पर डीएम जितेन्द्र सिंह का हस्ताक्षर
10.	प्रदर्श–M/E-M/1/ PW3	रायफल का पहचान किया गया

अपर मु० न्या० दण्डा० सह न्या० ... बलिया ...
सत्यमेव जयते

ख. बचाव पक्ष :

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं।	कोई नहीं।

ग. न्यायालय साक्ष्य :

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं।	कोई नहीं।

घ. भौतिक साक्ष्य :

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	कोई नहीं।	कोई नहीं।

पीठासीन पदाधिकारी–रणधीर कुमार
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बलिया (बेगूसराय)
जी. आर. नं0– 3697/2011
साहेबपुर कमाल थाना काण्ड सं0– 216/2011
दिनांक– 28.07.2026

निर्णय

1. अभियुक्तगण **सज्जन कुमार सिंह, तारा सिंह,** के विरुद्ध **धारा–** 25(1-B) a,c/26/35 **आयुध अधिनियम** के अंतर्गत आरोपित है और विचारण का सामना कर रहे है।

2. अभियोजन का सारांश सूचक के फर्द बयान के अनुसार दिनांक 19.12.2011 को समय 23:30 बजे शंकर मलिक के घर के सामने पक्की सड़क पर दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उनदोनों व्यक्ति के नाम पूछने पर अपना नाम सज्जन कुमार सिंह एवं तारा सिंह बताया। फिर दोनों व्यक्तियों का विधिपूर्वक तालाशी लिया गया तो तारा सिंह के पास एक रायफल मिला तथा सज्जन कुमार सिंह के पास से कुछ नहीं मिला। सज्जन कुमार सिंह से पूछने पर बताया कि तारा सिंह उक्त हथियार का तस्करी तथा बेचने का काम करते है। उसके बाद तारा सिंह से पूछा गया तो बोला कि उक्त हथियार को खरीदार आने वाले था इसलिए तारा सिंह के साथ हथियार लेकर आये थे कि इतने पुलिस आ गई। बरामद हथियार .315 रायफल है इसका जब्ती सूची तथा गिरफ्तारी मेमो बनाया गया। सूचक के लिखित कथन के आधार पर प्रस्तुत वाद साहेबपुर कमाल थाना कांड सं0 216/2011 दिनांक 19.12.2011 के रूप में अस्तित्व में आया और अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान प्रारंभ किया।

3. उक्त प्रकरण में साहेबपुर कमाल थाना प्रभारी (SHO), के द्वारा साहेबपुर कमाल थाना कांड संख्या 216/2011 के रूप में आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(a)/25(1-B) a/c/26/35 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। अन्वेषण उपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्तगण सज्जन कुमार सिंह, तारा सिंह के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(a)/25(1-B) a/c/26/35 के अंतर्गत आरोप–पत्र (Chargesheet) न्यायालय में समर्पित किया गया।

4. उक्त वाद में अभियुक्तगण सज्जन कुमार सिंह, तारा सिंह, के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(a)/25(1-B) a/c/26/35 के अंतर्गत दिनांक 17.02.2012 को संज्ञान लिया गया। दिनांक 19.09.2018 को अभियुक्तगण सज्जन कुमार सिंह, तारा सिंह के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25(1-B)a,c/26/35 के अंतर्गत आरोप गठन किया गया। उक्त आरोपों को हिंदी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिस पर अभियुक्तगण ने स्वयं को दोषी स्वीकार नहीं किया तथा विचारण का दावा किया।

5. उक्त वाद में अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में चार मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनमें PW-1 **पंकज कुमार,** PW-2 **मो0 इरशाद आलम** PW-3 **सुनील कुमार,** PW-4 **अरविंद कुमार सिंह** शामिल हैं। उपर्युक्त मौखिक साक्ष्यों के अतिरिक्त अभियोजन

पक्ष द्वारा **प्रदर्श 1 से लेकर प्रदर्श 8 एवं M/E-M/1** तक अंकित कराया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस वाद में अभियुक्त का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दिनांक 20.03.2024 को अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष द्वारा उसके विरूद्ध प्रस्तुत साक्ष्यों की सत्यता से इंकार किया तथा यह प्रतिरक्षा ली कि उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। बचाव पक्ष द्वारा अपने समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात बचाव पक्ष के अनुरोध पर बचाव साक्ष्य बंद कर दिया गया तथा दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनी गई।

6. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न ये है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गए आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है या नहीं।

साक्षियों का साक्ष्य

7. **अभियोजन साक्षी सं0 1** ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 19.12.2011 को मैं थानाध्यक्ष साहेबपुर कमाल के पद पर पदास्थापित था। साहेबपुर कमाल थाना कांड सं0 216/2011 में दिनांक 19.12.2011 को एस.टी.एफ के डीएसपी गोपाल पासवान सब इंस्पेक्टर मो0 अली साबरी एवं बल के साथ पु0 अ0 नि0 मुनीर आलम के साथ साहेबपुर कमाल थाना पर आए और बताए कि सबदलपुर में दो व्यक्ति अवैध हथियार का बिकी करने वाला है। मैं, थाना रिर्जव बल, मो0 इरशाद आलम थानाध्यक्ष बलिया थाना, एस.टी.एफ के पदाधिकारी एवं बल के साथ सत्यापन एवं आवश्यक कारवाई हेतू 23:05 बजे पुलिस वाहन से प्रस्थान किया जिस संबंध में थाना दैनिकी सनहा सं0 375 अंकित किया 23:15 बजे सबदलपुर शंकर मलिक के घर के पास पक्की सड़क पर पहुंचा तो देखा कि एक व्यक्ति जैकेट फुलपैंट पहनकर शंकर मलिक के घर के पास चहल कदमी कर रहा है। उसी समय उत्तर तरफ से एक व्यक्ति चादर ओढ़े आया और सड़क पर खड़ा होकर बात–चीत करने लगा। पुलिस का गाड़ी देखकर दोनों व्यक्ति पुरब की ओर भागे तो बल के साथ दोनों का पकड़ लिए और नाम पता पूछे तो उन्होंने अपना सज्जन कुमार सिंह एवं तारा सिंह बताया। दोनों व्यक्तियों के तलाशी के लिए स्वतंत्र साक्षी खोजे नहीं मिलने पर मोहन मलिक को स्वतंत्र साक्षी बनने के लिए कहे लेकिन उनदोनों के भय से वह नहीं बना। फिर साथ के बल के सिपाही 515 विजेन्द्र कुमार एवं सिपाही 541 धर्मेन्द्र कुमार को साक्षी मानते हुए दोनों का तालाशी लिए। सज्जन कुमार सिंह एवं तारा सिंह के शरीर का विधिवत तालाशी लिया गया तो तारा सिंह के हरे ओढ़ चादर के अन्दर से एक .315 बोर का राइफल वोल्ट एवं मैगजीन के साथ बरामद हुआ। राइफल के बैरल पर .315 स्पोर्टिंग राइफल लिखा हुआ

अपर मु० न्या० दण्डा० बलिया बेगूसराय

है। बरामद राइफल के संबंध में पकड़ाए दोनों व्यक्तियों से वैध कागजात का मांग किया गया परंतु दोनों ने कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। पूछने पर तारा सिंह ने बताया कि सज्जन कुमार सिंह यह राइफल बेचने हेतु छिपाकर रखा था और ग्राहक मिलने पर मिलवाने के लिए बोला था तो इसे लेकर आया। सज्जन सिंह ने बताया कि यह दोनों हथियार का बिक्री करते है और बेचने के लिए हथियार मंगवाया था लेकिन पुलिस आ गई। राइफल की बट की लं0 12 इंच बॉडी की लं0 7.5 इंच बैरल की लंबाई 25 इंच सम्पूर्ण लं0 43.5 इंच पाया गया। बरामद राइफल को विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया जिस पर दोनों साक्षियों ने स्वेच्छा से अपना–अपना हस्ताक्षर बना दिया। जब्ती सूची के एक–एक प्रति पकड़ाया हुए दोनों व्यक्तियों को दिए। जिसपर दोनों ने अपना–अपना हस्ताक्षर एवं अंगूठा का निशान बनाया। तत्पश्चात् मैं स्वतः बयान लिया और बरामद हथियार को विधिवत सील बंद किए एवं पकड़ाए दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। थाना लौटकर स्वतः बयान के आधार पर साहेबपुर कमाल थाना कांड सं0 216/2011 दर्ज किया एवं अनुसंधान का भार पु0अ0नि0 सुनील कुमार को सौपा। यह वही स्वलिखित बयान है जो मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे मैं पहचानता हूँ तथा इसे **प्रदर्श–1** अंकित किया जाता है। यह वही जब्ती सूची है जो मैंने कांड के संदर्भ में बनाया गया है जो मेरे द्वारा लिखा गया है एवं उस पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे **प्रदर्श–02** अंकित किया जाता है। स्व लिखित बयान पर किया गया पृष्ठांकन मेरे लिखावत एवं हस्ताक्षर में है जिसे पहचानता हूँ। जिसे **प्रदर्श–1/1** अंकित किया जाता है। यह औपचारिक प्राथमिकी है जो मैंने कांड के संदर्भ में दर्ज किया यह थाना लेखक वकील झा के लिखावत में है तथा इस पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे पहचानता हूँ इसे **प्रदर्श–03** अंकित किया जाता है। आज न्यायालय में अभियुक्त सज्जन कुमार सिंह और तारा सिंह दोनों उपस्थित है जिन्हें पहचानता हूँ।

यह अपने प्रतिपरीक्षण कहते है कि औपचारिक प्राथमिकी पर हस्ताक्षर थाना पर किए थे। दिनांक 19.12.2011 को 23:55 बजे किया गया था। मुझे याद नहीं है कि एसटीएफ बल थाना पर आए उसका इंट्री थाना स्टेशन के केस डायरी में किये की नही याद नहीं है। उस दिन गश्ती में कौन–कौन गया था, याद नहीं है। थाना से 23:05 बजे सबदलपुर ग्राम के लिए निकाला था। गाड़ी का नं0 याद नहीं है। शंकर मलिक साहेबपुर कमाल थाना में किसी कांड में वादी या मुदालय था याद नहीं है। पूर्व में गश्ती के क्रम में शंकर मलिक के घर के पास गाड़ी लगाता था इसलिए शंकर मलिक को पहचानते है। शंकर मलिक के घर चौहद्दी हम नहीं बता सकते है। शंकर मलिक कभी गुप्त सूचना देता था यह संदर्भ में हम कुछ नहीं बोलेंगे। घटनास्थल थाना से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। पूरब– दक्षिण दिशा में है। साहेबपुर कमाल थाना में मैं 12 जनवरी 2011 से 26 जनवरी 2012 तक पदास्थापित थानाध्यक्ष के रूप में रहा।

प्रतिपरीक्षण के कंडिका 8 में उन्होंने घटना के पूर्णतः समर्थन किया है। पकड़–धकड़ में बल का प्रयोग नहीं करना पड़ा। छापामारी दल के अधिकारी एवं बल के पास सरकारी हथियार था। रात में कोहरा था या नहीं, मुझे याद नहीं है। कंडिका 10 में कहते है कि गवाही के दौरान जब्त आर्म्स मेरे सामने नहीं है। जब्ती सूची 23:40 पुनः कहते है 23:25 बजे बनाए थे। स्वतः बयान घटनास्थल पर 23:30 बजे मैं स्वयं अंकित किया था। मुदालय को पकड़ने और सीजर लीस्ट बनाने में 15 मिनट का समय लगा था। मुदालय कौन रंग का फुलपैंट पहने हुए थे याद नहीं है। सज्जन सिंह के पास से कोई भी चीज बरामद नहीं हुआ था। घटनास्थल से थाना आने में लगभग 15 मिनट का समय लगा था। पुनः बयान 20.12.2011 को 00:10 बजे अनुसंधानकर्त्ता को थाना में दिए थे और मेरे बाद चार लोगों का बयान हुआ था उस समय इरशाद आलम बलिया थाना के थानाध्यक्ष थे। छापामारी का स्वीकृति की आवश्यकता वरीय पदाधिकरी का नहीं था, इसलिए नहीं लिए। उस समय मेरे वरीय पदाधिकारी बलिया के एसडीपीओ थे। इनको वायरलेस से सूचना दिए थे। उस दिन मैं किसी केस का अनुसंधान में गए थे या नहीं मुझे याद नहीं है।

8. **अभियोजन साक्षी सं0 2** अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 19.12.2011 को बलिया थानाध्यक्ष के रूप में पदास्थापित थे। साहेबपुर कमाल थाना कांड 216/2011 राज्य बनाम सज्जन सिंह रेडिंग पार्टी के सदस्य थे। साहेबपुर कमाल थाना पहुंचे तो वहां से एसटीएफ के डीएसपी गोपाल पासवान सब–इंस्पेक्टर अली जाबरी, मुनीर आलम एसटीएफ के शस्त्र बल, साहेबपुर कमाल थाना के सशस्त्र बल मेरे साथ में सशस्त्र बल और साहेबपुर थाना के सशस्त्र बल मेरे साथ के सशस्त्र बल और साहेबपुर कमाल के थानाध्यक्ष पंकज कुमार सूचना मिली थी कि ग्राम सबदलपुर में दो व्यक्ति हथियार का खरीद फरोख्त करने वाले है। सूचना पर साहेबपुर कमाल थानाध्यक्ष पंकज कुमार के द्वारा एस.डी में इंट्री किया गया और 23:05 बजे उपरोक्त सभी पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस के सरकारी जीप पर सबदलपुर के लिए प्रस्थान किए। 23:15 बजे सबदलपुर शंकर मलिक के घर के निकट पहुंचे तो देखा कि एक व्यक्ति लंबा जैकेट पहने हुए खड़ा है और रोड के उत्तर के तरफ से एक व्यक्ति ऊनी चादर ओढ़ हुए आया और खड़े व्यक्ति के साथ बातचीत करने लगा। दोनों व्यक्ति पुलिस जीप को देखकर भागने लगा। संदेह होने पर रेडिंग पार्टी के पुलिस पदाधिकारी सशस्त्र बल के साथ दोनों व्यक्ति को पकड़ा गया। दोनों व्यक्तियों के नाम पूछने पर सज्जन कुमार सिंह एवं तारा सिंह बताया। संदेह होने पर दोनों व्यक्ति तालाशी लेने हेतु अगल–बगल के लोगों को खोजा। मोहन मलिक मिला। उनसे तालाशी के गवाही बनने के लिए बोलो तो उन दोनों के डर से तैयार नहीं हुआ। तत्पश्चात् रेडिंग पार्टी में सम्मिलित सिपाही विजेन्द्र कुमार और धर्मेन्द्र कुमार को तालाशी गवाह बनाते हुए रेडिंग

पार्टी का तालाशी थानाध्यक्ष पंकज कुमार के द्वारा लिया गया। दोनों तालाशी गवाह के समक्ष पकड़ाए व्यक्ति तारा सिंह का तालाशी लिया गया तो हरे रंग के ऊनी ओढ़े हुए चादर के अंदर से तारा सिंह के पास से एक .315 राइफल बरामद हुआ। राइफल में वोल्ट व मैगजीन पाया। राइफल की बट की लं0 12 इंच बॉडी की लं0 7.5 इंच बैरल की लंबाई 25 इंच सम्पूर्ण लं0 43.5 इंच पाया गया तथा बैरल के ऊपरी भाग पर AB117/973 लिखा हुआ पाया गया तथा बैरल के मध्य में इण्डियन 35 राइफल 11 लिखा हुआ पाया गया। राइफल के संबंध में कागजात की मांग पर सज्जन सिंह और तारा सिंह से मांगा गया तो दोनों के द्वारा वैध कागजात नहीं दिखाया गया। तारा सिंह के द्वारा बताया गया कि सज्जन कुमार के द्वारा तश्करी करते है और बेचने के लिए एक व्यक्ति को बुलाया थे। सज्जन कुमार से पूछने पर बताया कि दोनों हथियार का तस्करी करते है और बेचने के लिए व्यक्ति को बुलाए थे। तत्पश्चात् बरामद हथियार का जब्ती सूची तैयार किया गया। बरामद राइफल को जब्त कर दोनों गवाह ध र्मेन्द्र कुमार और विजेन्द्र के द्वारा जब्ती सूची पर हस्ताक्षर किया गया तथा जब्ती सूची के एक–एक प्रति सज्जन कुमार सिंह और तारा सिंह को दिया गया जिसपर उनलोगों का हस्ताक्षर एवं अंगूठा का निशान है। जब्त सूची, आग्नेयास्त्र और गिरफ्तार कर दोनों व्यक्तियों को साहेबपुर कमाल थाना लाया गया और औपचारिक प्राथमिकी थानाध्य क्ष के द्वारा दर्ज किया गया।

यह अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि घटना के समय मैं बलिया थाना में एसएचोओ के पद पर था। वरीय पदाधिकारी से स्टेशन छोड़ने की अनुमति नहीं लिया था। सिर्फ एसडी में अंकित किया था। एसडी संख्या याद नहीं है। मैं सरकारी थाना का जीप लेकर गया था। यहाँ से एक जीप गया था। गाड़ी का नंबर याद नहीं है। यहाँ से 19 दिसंबर 2011 को 22:30 बजे प्रस्थान किए थे। उस दिन मेरे बलिया थाना में कितना प्राथमिकी दर्ज हुआ नहीं याद है? मैंने उस दिन बलिया थाना में किसी केस का अनुसंधान किया या नहीं, मुझे याद नहीं है। याद नहीं है कि गश्ती दल गया था कि नहीं मेरे साथ जो थाना से गए थे, थाना गार्ड पहचानते हैं। थानाध्यक्ष पंकज कुमार पहले से परिचित थे। छापामारी दल के लोग पहले से परिचित नहीं थे। थाना पहुंचे तो वहां बताया गया कि छापामारी दल में जो गए थे इस छापामारी से पूर्व घ टनास्थल पर कभी नहीं गए थे। बलिया के बाद मैं साहेबपुर कमाल का एसएचओ वर्ष 2013 में बना था। 2013 से 14 तक रहा तारीख, तथा महीना याद नहीं है। 3 गाड़ी एक साथ थाना से गया था। सबसे आगे साहेबपुर कमाल थाना की गाड़ी थी। उसके पीछे मेरी गाड़ी थी। सबसे पीछे विशेष छापामार दल का गाड़ी था। आगे वाली गाड़ी रुकने के बाद मेरी गाड़ी रुकी आगे वाली गाड़ी से 2 मीटर पीछे मेरी गाड़ी रुकें। हम अपनी गाड़ी में बाएं साइड में थे। भागते हुए, मैंने पूरब की ओर और पक्की

सड़क पर देखा भागने वाला व्यक्ति सीधे भागा थानाध्यक्ष साहेबपुर कमाल के द्वारा आदेश दिया गया कि पकड़ो तो छापामारी दल लोग पकड़ने लगे रेडिंग पार्टी के द्वारा दोनों को पकड़ा गया व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं पकड़ा रेडिंग पार्टी में सबसे पहले कौन पकड़ा याद नहीं है, पकड़ने के समय घेर कर पकड़ा गया या बल का प्रयोग नहीं किया गया। दोनों पकड़ने के बाद भागने का प्रयास नहीं किए। रात अंधेरा था या उजाला था नहीं बता सकता। तलाशी मेरा भी हुआ था। गवाहों के समक्ष सभी छापामारी दल के सदस्य के पास सरकारी हथियार थे। कुल हम लोग लगभग पन्द्रह से सोलह आदमी थे। सड़क के दोनों किनारे खेत किसका था? याद नहीं है खेत में गेहूं लगा था। कितना बड़ा गेहूं था याद नहीं है। आर्म्स मेरे द्वारा नहीं थानाध्यक्ष पंकज कुमार के द्वारा नापा गया था किस चीज से नापें याद नहीं है मेरी गवाही 20 दिसंबर 2011 को हुई थी समय याद नहीं है। साहेबपुर कमाल थाना पर लिया गया था। मुझे याद नहीं है कि मैं अनुसंधानकर्ता को यह बताया था कि नहीं 23:05 में एसडी में एंट्री के बाद प्रस्थान किए थे। पकड़े हुए व्यक्ति के बाप का नाम नहीं बता सकते हैं। बयान में मैंने बताया था कि तलाशी लेने हेतु स्वतंत्र साक्षियों का खोज किया गया, परन्तु स्वतंत्र साक्षियों के नहीं मिलने की स्थिति में साहेबपुर कमाल थाना के रिजर्व बल के सिपाही के समक्ष तलाशी नियमों का पालन करते हुए थानाध्यक्ष पंकज कुमार के द्वारा ली गई थी। मुझे याद नहीं है कि मैंने अनुसंधानकर्ता को समझ ऐसा बयान दिया था कि संकर मलिक भय से स्वतंत्र साक्षियों के लिए तैयार नहीं हुआ था। मैंने अपना बयान में बताया था कि जब्त आर्म्स पर एबी 117199 दर्ज है ऐसा भी मैंने कहा कि राइफल के ऊपर प्वाइंट 315 इंडियन राइफल लिखा हुआ है, याद नहीं है। मैंने ऐसा भी बयान दिया था कि पकड़ाए व्यक्ति तारा सिंह ने बताया कि राइफल का तस्करी करता हूं। ऐसा मैंने नहीं कहा कि मैंने दोनों को बोला था कि पकड़े हुए व्यक्ति जो बोला मैं उसी पर बयान बता रहा हूं थाना के द्वारा न्यायालय में आर्म्स लाया गया जो सील बंद है। मैंने व्यक्तिगत रूप से आर्म्स का निरीक्षण किया हूं। मैंने अनुसंधान को बताया था कि मैंने हथियार का निरीक्षण किया था। थाना से घटनास्थल दो से तीन किलोमीटर की दूरी पर है।

9. **अभियोजन साक्षी सं0 3** अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैं साहेबपुर कमाल थाना कांड 216/2011 का अनुसंधानकर्ता हूँ। मैं इस कांड का अनुसंधान का भार 19.12. 2011 को 23:55 बजे ग्रहण किया था। अनुसंधान का भार ग्रहण करने के अगले दिन 20.12.2011 को सज्जन सिंह व तारा सिंह का सफाई बयान दर्ज किया। तत्पश्चात् इस कांड के वादी का पुनः बयान दर्ज किया जिसने प्राथमिकी का पूर्व समर्थन किए। इसके बाद साक्षी इरशाद आलम, हवलदार जैबू यादव, सिपाही साक्षी धर्मेन्द्र कुमार, धर्मेन्द्र कुमार (सिपाही नं0 07), विजेन्द्र कुमार, शर्मा पासवान का बयान दर्ज किया। घ

ाटनास्थल का परीक्षण किया। घटनास्थल ग्राम सवदलपुर स्थित पक्की सड़क पर स्थित है जहां से अभियुक्तों को शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके बाद मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष अभियुक्तों को दिनांक 20.12.2011 को न्यायिक हिरासत में लिये जाने के उपस्थित किया और एक आवेदन शस्त्र के जांच हेतु दिया और आदेश प्राप्त किया। दिनांक 13.01.2012 को सुपरवीजन नोट एस.डी.पी.ओ. से प्राप्त किया। दिनांक 16.01.2012 को शस्त्र को जांच कराने हेतु प्रदर्श को सीलबंद अवस्था में प्रभारी प्रवर मुंगेर को सौपा और जांच रिर्पोट 16.01.2012 को प्राप्त किया। अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दिनांक 26.01.2012 को एक आवेदन दिया और दिनांक 03.02.2012 को डी0एम0 के यहां से स्वीकृति आदेश प्राप्त किया। आरोप पत्र दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 05.02.2012 को दाखिल किया गया था जो कि मेरी लिखावट व हस्ताक्षर में है व थानाध्यक्ष के अग्रसारण में है। सम्पूर्ण आरोप पत्र को **प्रदर्श P/4** अंकित किया जाता है। आवेदन को देखकर कहते है कि शस्त्र जांच हेतु मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को दिया गया आवेदन मेरे लिखावट व हस्ताक्षर में है उसे पहचानता हूँ इसे **प्रदर्श P/5** अंकित किया गया। सार्जेन्ट मेजर को शस्त्र जांच हेतु आवेदन दिया गया जो कि मेरे लिखावट व हस्ताक्षर में है जिसे पहचानता हूँ तथा इसे **प्रदर्श P/6** अंकित किया जाता है। शस्त्र जांच रिर्पोट को देखकर साक्षी कहते है कि इसपर अरविंद कुमार सिंह का हस्ताक्षर है जिसे पहचानता हूँ तथा इसे **प्रदर्श P/7** अंकित किया जाता है। अभियोजन स्वीकृति आदेश को देखकर साक्षी कहते है कि यह वही आदेश है जो जिला दण्डाधिकारी के यहां से प्राप्त हुआ था और इस पर तत्कालिन ज़िला दण्डाधिकारी जितेन्द्र श्रीवास्तव का हस्ताक्षर है जिसे पहचानता हूँ। इस स्वीकृति आदेश को **प्रदर्श P/8** अंकित किया जाता है। साक्षी कहते है कि अभियुक्तों को देखकर पहचान लूंगा। बिना सील किया हुआ शस्त्र जो क्षतिग्रस्त अवस्था में फटा कपड़ा में लपेटा हुआ है, को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो लोहे के निर्मित एक रायफल है। साक्षी इसे देखकर कहते है कि यह वही शस्त्र है जो अभियुक्तों के यहां से जब्त किया गया व इसमें वोल्ट व मैगजीन लगा है। इसका बैरल काला रंग के पेंट से रंगा हुआ है। इसके वैरल पर sporting rifle .315 RFI. IN लिखा हुआ है। रायफल के बॉडी पर .315, .71, .975, 18 जवदे और ।ठध्11 जंग लगा हुआ है। इसके कुन्दा पर उजला रंग के पेंट से तथा कांड सं0 अंकित है। इसके बट पर एक स्कीकर लगा हुआ है जिसमे रायफल फैक्टरी इसापोर लिखा हुआ है और नीचे टेस्टेड और ओके लिखा हुआ है। उक्त रायफल को प्रदर्श **M/E-M/1** अंकित किया जाता है।

अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 14 में कहते है कि जंग लगने के कारण सही से

नम्बर नहीं पढ़ पा रहा हूँ। रायफल पर थाना कांड संख्या अंकित है। अनुसंधान के कम में साक्षी ने कोई भी अपना निशान नहीं दिया है। न्यायालय के द्वारा भी जब्त शस्त्र पर कोई खास निशान नहीं दिया गया है। कांड दैनिकी के पारा 45 में लिखा हुआ है कि जांच रिर्पोट के बाद उसपर प्रदर्श I अंकित किया गया। कांड दैनिकी में मैंने लिखा है कि अनुसंधान के भार ग्रहण करने के बाद शस्त्र कहां से प्राप्त किया था। कंडिका 19 में कहते है कि कांड दैनिकी के पारा 11 में मैं इतना ही लिखा हूँ कि वादी ने घटना एवं प्राथमिकीका पूर्णतः समर्थन किया है। कंडिका 20 में कहते है कि प्राथमिकी व पुर्न बयान में यह कही दर्ज नहीं है कि बरामद हथियार को विधिवत सीलबंद किया व पकड़ाए दोनों व्यक्तियों का विधिवत गिरफ्तार किया गया। कंडिका 21 में कहते है कि कांड दैनिकी के पारा 12, 13, 15, 16, 17 में गवाहों का बयान दर्ज किया हूँ, सभी गवाहों ने बयान दिया कि जब वह कच्ची सड़क पर खड़ा है व एक अन्य व्यक्ति चादर ओढ़ सड़क किनारे से काफी तेरी से चढ़ा व दोनों व्यक्ति बातचीत करने लगा। सभी छः गवाहों ने उपरोक्त बयान मेरे समक्ष दिया था। कांड दैनिकी के पारा 70 में लिखा है कि एस.डी.पी.ओ. को अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप समर्पित करने का आवेदन दिया और इसी आदेश के आलोक में पारा 72 में आरोप पत्र समर्पित किया। स्वीकृति आदेश पर लघु हस्ताक्षर है और रिर्पोट पर तत्कालिन जिला दंडाधिकारी का नाम लिखा हुआ है। सार्जेंट मेजर के रिर्पोट पर भी उनका लघु हस्ताक्षर है तथा उनका स्पष्ट नाम नहीं है। मैंने कांड दैनिकी में नहीं लिखा है कि जो प्रदर्श बरामद हुआ है वह जब्ति सूची से मिलान किया गया है। कंडिका 25 में लिखा है कि किसी अन्य व्यक्ति का गवाही नहीं लिया हूँ। सभी साक्षी पुलिस वाले है।

10. **अभियोजन साक्षी सं0 4** अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 16.01.2012 को मैं प्रभारी प्रवर मुंगेर के रूप में पदास्थापित था। मैं साहेबपुर कमाल थाना कांड 216–2011 के जब्त वस्तु प्रदर्श का जांच किया। साक्षी रिर्पोट देखकर कहते है कि इस पर मेरा हस्ताक्षर है और यह जांच रिर्पोट मेरे द्वारा तैयार किया गया है। दिनांक 16.01.2012 को साहेबपुर कमाल थाना के सब–इंस्पेक्टर सुनील कुमार के द्वारा सील बंद अवस्था में वस्तु प्रदर्श हेतु लाया गया जिस माननीय मुख्य न्या0 दण्डा0 के द्वारा जांच करने का आदेश प्राप्त था। आदेश के आलोक में जांच किया गया एवं जांच प्रतिवेदन निम्नलिखित है–

जांच के कम में एक अदद 3/5 बोर का एक देशी रायफल जिसकी सम्पूर्ण लंम्बाई 110.5 से0मी0 पाया गया, इसके बैरल के ऊपर अंग्रेजी में .317.71.975.18 जवदे अंकित था। शस्त्र का ट्रीगर एवं फायरिंग पिन कारगर पाया गया। शस्त्र कारगर पाया गया। उस शस्त्र से .315 की गोली फायर किया जा सकता है जो मानव जीवन के लिए ध

ाटक है मेरे द्वारा इस प्रदर्श–1 के रूप में चिन्हित किया गया। जांचोपरान्त उपरोक्त प्रदर्श पुनः सील बंद कर जांच प्रतिवेदन के साथ सुनील कुमार को वापस किया गया। यह जांच प्रतिवेदन मेरे टंकक सिपाही दिनकर द्वारा मेरे लेखापित पर टंकित किया गया व मैंने सही पाकर इसपर हस्ताक्षर किया जिसे पहचानता हूँ।

अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि रिर्पोट पर मेरा लघु हस्ताक्षर है। साहेबपुर कमाल थाना बेगूसराय जिला में पड़ता है। उस समय बेगुसराय में प्रभारी प्रवर उपलब्ध नहीं थे। इस बात को मैं रिर्पोट में नहीं लिखा हूँ। मेरे समक्ष अभी वस्तु प्रदर्श नहीं है। वस्तु प्रदर्श अभी रहेगा तो मैं पहचान लूंगा। रिर्पोट पर है या नहीं, वह नहीं याद है और न ही रिर्पोट में लिखा हूँ। सील कहां हुआ मै नहीं बता सकता उस पर माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी का आदेश उपलब्ध था। जांच के बाद मैंने पाया कि शस्त्र कारगर है। जांच का तरीका अपने रिर्पोट में नहीं लिखा हूँ। .315 ही डायमीटर है।

<u>बहस</u>

11. प्रतिरक्षा पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने में विफल रहा है तथा साक्षियों के साक्ष्य में परस्पर विरोध ाभास है। अभियुक्त के विरुद्ध अभिलेख पर पर्याप्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं हैं और इसलिए अभियुक्त को दोष मुक्त किया जाना चाहिए।

12. अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा यह समाज को गंभीर रूप से प्रभावित करता है अतः अभियुक्तगण को अधिक–से– अधिक सजा दी जाए।

<u>मंतव्य</u>

13. अभिलेख पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों, प्रदर्शों, साक्षियों के मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण तथा दोनों पक्षों की अंतिम बहस पर सम्यक् विचार करने के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त सज्जन कुमार सिंह के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25(1-B)(a), 25(1-B)(c), 26 एवं 35 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ है। अभियोजन के अपने साक्षियों, विशेषकर PW-1 एवं PW-2, ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि घटनास्थल से बरामद .315 बोर की रायफल केवल सह–अभियुक्त तारा सिंह के कब्जे से बरामद हुई थी तथा अभियुक्त सज्जन कुमार सिंह के पास से किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र अथवा अन्य आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। अभियोजन द्वारा सज्जन कुमार सिंह की संलिप्तता सिद्ध करने हेतु मुख्य रूप से सह–अभियुक्त के कथित बयान तथा पुलिस पदाधिकारियों के बयानों पर निर्भर किया गया है, किन्तु ऐसे कथनों का कोई स्वतंत्र साक्ष्य, प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य

समर्थन अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि घटनास्थल पर किसी स्वतंत्र गवाह को अभियोजन ने न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया तथा संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य पुलिस पदाधिकारियों तक ही सीमित है। यद्यपि केवल इस आधार पर कि गवाह पुलिस पदाधिकारी हैं, उनकी गवाही को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, तथापि जब किसी अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष बरामदगी अथवा स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध न हो, तब मात्र संदेह अथवा सह–अभियुक्त के कथित कथन के आधार पर दोषसिद्धि करना विधिसम्मत नहीं होगा। अतः अभियुक्त सज्जन कुमार सिंह को संदेह का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है और उसे आयुध अधिनियम की धारा 25(1-B)(a), 25(1-B)(c), 26 एवं 35 के सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। दूसरी ओर, अभियुक्त तारा सिंह के संबंध में PW–1 एवं PW–2 के सुसंगत एवं विश्वसनीय साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि उसके शरीर की तलाशी के दौरान उसके कब्जे से .315 बोर की रायफल बरामद हुई थी, जिसकी जब्ती विधिवत जब्ती सूची के माध्यम से की गई। अनुसंधानकर्ता PW-3 ने बरामद शस्त्र की पहचान की तथा अनुसंधान की समस्त प्रक्रिया का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त PW–4 सार्जेंट मेजर द्वारा प्रस्तुत शस्त्र परीक्षण प्रतिवेदन से यह सिद्ध होता है कि बरामद रायफल कार्यशील थी तथा उससे .315 बोर का कारतूस चलाया जा सकता था, जो मानव जीवन के लिए घातक है। अभियुक्त तारा सिंह उक्त शस्त्र के संबंध में कोई वैध अनुज्ञप्ति अथवा प्राधिकार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। फलस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष तारा सिंह के विरुद्ध अवैध रूप से कार्यशील आग्नेयास्त्र रखने का आरोप संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। तथापि, जहाँ तक शस्त्र के व्यापार, तस्करी अथवा वाणिज्यिक क्रय–विक्रय का प्रश्न है, अभियोजन इस संबंध में कोई स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। न तो किसी कथित खरीदार की पहचान की गई, न किसी खरीद–बिक्री की प्रक्रिया, लेन–देन अथवा पूर्व योजना के संबंध में कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध कराया गया। मात्र पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष अभियुक्तों द्वारा किए गए कथित कथनों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अभियुक्त तारा सिंह शस्त्र के व्यापार अथवा तस्करी में संलिप्त था। अतः न्यायालय का मत है कि अभियोजन पक्ष धारा 25(1-B)(c) के आवश्यक अवयवों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त तारा सिंह को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-B)(c) एवं 35 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

14. परंतु जहां तक प्रश्न अभियुक्त तारा सिंह के विरुद्ध लगाये गए आरोप शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-B)(a), 26 का प्रश्न है को साबित करने में अभियोजन पूर्णतः सफल

रहे हैं। अभियोजन की ओर से जो भी साक्षी प्रस्तुत किए गए है उन सभी साक्षी तारा सिंह के पास शस्त्र बरामदगी के बात का पूर्णतः समर्थन किया है साथ ही बरामद शस्त्र को जांच में कारगर पाया गया है तथा अभियुक्त के विरुद्ध जिला पदाधिकारी बेगूसराय से अभियोजन स्वीकृति आदेश प्राप्त है तथा प्रतिरक्षा पक्ष प्रतिपरीक्षण में न्यायालय के समक्ष कोई भी ऐसा कोई भी तथ्य नहीं प्रस्तुत कर सके जिससे अभियुक्त की निर्दोषिता साबित हो सके। फलतः अभियुक्त तारा सिंह को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-B)(a), 26 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

आदेश

15. अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों, दस्तावेजों तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर सम्यक् विचार करने के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने में सफल रहा है। फलतः अभियुक्त **सज्जन कुमार सिंह** को संदेह का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है और उसे आयुध अधिनियम की धारा 25(1-B)(a), 25(1-B)(c), 26 एवं 35 के सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है तथा अभियुक्त सज्जन कुमार सिंह के जमानत बंधपत्रों से संबंधित जमानतदारों को उनके दायित्वों से मुक्त किया जाता है तथा अभियुक्त को स्वतंत्र किया जाता है। अभियुक्त **तारा सिंह** को आयुध अधिनियम की धारा **25(1-B)(a), 26** के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है, जबकि धारा **25(1-B)(c) एवं 35** के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त तारा सिंह जमानत पर थे इसलिए इनका बंध–पत्र खंडित किया जाता है तथा अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लिया जाता है एवं उनके प्रतिभूओं को जमानत के उत्तरदायित्व से मुक्त किया जाता है। उन्हें दंडादेश के बिंदु पर सुनवाई के लिए दूसरी पाली में न्यायालय में पेश किया जाए।

16. इस मामले के दोषी– **तारा सिंह,** के विरुद्ध दंडादेश के बिंदु पर सुनवाई के लिए **दूसरी पाली** में नियत किया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

रणधीर कुमार 28/07/26

(रणधीर कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
बलिया (बेगूसराय)।
तिथि :– 28.07.2026

(यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।)

रणधीर कुमार 28/07/26

(रणधीर कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
बलिया (बेगूसराय)।
तिथि :– 28.07.2026

पीठासीन पदाधिकारी–रणधीर कुमार
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बलिया (बेगूसराय)
जी. आर. नं0– 3697/2011
साहेबपुर कमाल थाना काण्ड सं0– 216/2011
दिनांक– 28.07.2026

दंडादेश के बिंदु पर सुनवाई

आदेश

दूसरी पाली – राज्य की ओर से श्री फिरोज अहमद, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी तथा दोषियों के ओर से विद्वान अधिवक्ता और सज्जन कुमार सिंह, मिथलेश यादव भी न्यायालय में उपस्थित है।

1. निर्णय दिनांक 28.07.2026 के माध्यम से, दोषियों– **तारा सिंह** को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-B)(a) एवं 26 के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्हें आज दंडादेश के बिंदु पर सुनवाई के लिए पेश किया गया है।
2. प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है इनका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है अभियुक्त मजदुरी करने वाले लोग है तथा इन्हीं के आमदानी से इनके सम्पूर्ण परिवार का भरण–पोषण होता है तथा अभियुक्त का उम्र लगभग 55 वर्ष है अतः इन्हें कम से कम सजा दी जाए।
3. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी ने प्रतिरक्षा पक्ष के उक्त निवेदन का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्तों द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है, जिसका समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः दोषियों को विधि के अनुरूप उपयुक्त दण्ड प्रदान किए जाने का आग्रह किया गया।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना तथा अभिलेख का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। दण्ड निर्धारण के संबंध में शमनकारी एवं गंभीर, दोनों प्रकार की परिस्थितियों पर विचार किया गया। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि दोषियों का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। इन समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचार करने के उपरांत न्यायालय निम्नलिखित दण्डादेश पारित करता है–

i. अतः तारा सिंह को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-B)(a) में 1 (एक) वर्ष पांच महीना का साधारण कारावास से दंडित किया जाता है।

ii. आयुध अधिनियम की धारा 26 में 6 माह का साधारण कारावास से दंडित किया जाता है।

iii. दण्ड प्रक्रिया संहिता/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार दोषियों द्वारा विचारण अवधि में न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि का

समायोजन उक्त कारावास की अवधि में किया जाएगा।

iv. उपर्युक्त दोनों सजाएँ साथ–साथ चलेंगी।

5. यह निर्णय मेरे द्वारा अभियुक्त के उपस्थिति में खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।)

रणधीर कुमार
28/07/26

(रणधीर कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
बलिया (बेगूसराय)।
तिथि :– 28.07.2026

रणधीर कुमार
28/07/26

(रणधीर कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
बलिया (बेगूसराय)।
तिथि :– 28.07.2026

Date of Order/Judgement	28.07.2026
Date of reserving order/ Judgement	15.07.2026
Uploading Date	03.08.2026
Uploaded by	Gunjan Kumar (Stenographer)